संख्या-139/2026/आई0/1353104/2026-5-6099/203/2023-6-

प्रेषक

चन्द्र शेखर मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-6 **लखनऊ : दिनांक 04 जून, 2026**

विषय:- आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के राज्य स्तरीय कार्यालय की स्थापना हेतु अनुदान संख्या-36 चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य), लेखाशीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-06-लोक स्वास्थ्य सेवायें-800-अन्य व्यय-03-नेशनल डिजीटल हेल्थ मिशन (एन0डी0एच0एम0) तथा लेखाशीर्ष-4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-04-लोक स्वास्थ्य-200-अन्य कार्यक्रम-03-नेशनल डिजीटल हेल्थ मिशन (एन0डी0एच0एम0)/(ए0बी0डी0एम0) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किया जाना।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय पर आपके पत्र संख्या-6फ/बजट/2026-27/11, दिनांक 21.05.2026 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के राज्य स्तरीय कार्यालय की स्थापना हेतु अनुदान संख्या-36 चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य), लेखाशीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-06-लोक स्वास्थ्य सेवायें-800-अन्य व्यय-03-नेशनल डिजीटल हेल्थ मिशन (एन0डी0एच0एम0) के अन्तर्गत रूपये 83.00 लाख (रूपये तिरासी लाख मात्र) तथा लेखाशीर्ष-4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-04-लोक स्वास्थ्य-200-अन्य कार्यक्रम-03-नेशनल डिजीटल हेल्थ मिशन (एन0डी0एच0एम0)/(ए0बी0डी0एम0) के अन्तर्गत रूपये 20.00 लाख (रूपये बीस लाख मात्र) अर्थात कुल रूपये 103.00 लाख (रूपये एक करोड तीन लाख मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ श्री राज्यपाल सहर्ष प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

1. धनराशि का आहरण आवश्यकता के अनुसार किया जायेगा।
2. वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 में दी गयी व्यवस्थानुसार जो सरकारी अधिकारी/कर्मचारी धन को आहरित करेगा, वही उसके समायोजन हेतु भी जिम्मेदार होगा तथा यदि कोई क्षति होती है तो उसके लिये भी सम्बन्धित सरकारी अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार होगा।
3. प्रश्नगत धनराशि का समायोजन कराते हुये महालेखाकार के पुस्तांकित आंकडों में भी समायोजन सुनिश्चित कराते हुये वित्त विभाग को अवगत कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
4. धनराशि के व्यय में सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा उसका व्यय उसी प्रयोजन में किया जायेगा, जिस हेतु इसका प्राविधान किया गया है।
5. धनराशि संस्था को निर्गत किये जाने के दिनांक से उनके द्वारा वास्तविक उपयोग किये जाने की तिथि तक अर्जित ब्याज को राजकोष में जमा कराया जायेगा।

http://shasanadesh.up.gov.in

---

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

6. आगामी प्रस्ताव उपलब्ध कराते समय अब तक अग्रिम के रूप में स्वीकृत धनराशि का विवरण उपलब्ध कराया जायेगा।

2. इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 2210068000300 (नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन (एन.डी.एच.एम.)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	036	2210068000300 नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन (एन.डी.एच.एम.)	04 यात्रा व्यय	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
2	036	2210068000300 नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन (एन.डी.एच.एम.)	08 कार्यालय व्यय	1,50,000 (रुपये एक लाख पचास हजार मात्र)
3	036	2210068000300 नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन (एन.डी.एच.एम.)	09 विद्युत देय	19,00,000 (रुपये उन्नीस लाख मात्र)
4	036	2210068000300 नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन (एन.डी.एच.एम.)	10 जलकर/जल प्रभार	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
5	036	2210068000300 नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन (एन.डी.एच.एम.)	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	5,00,000 (रुपये पाँच लाख मात्र)
6	036	2210068000300 नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन (एन.डी.एच.एम.)	13 टेलीफोन पर व्यय	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
7	036	2210068000300 नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन (एन.डी.एच.एम.)	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	6,00,000 (रुपये छह लाख मात्र)
8	036	2210068000300 नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन (एन.डी.एच.एम.)	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
9	036	2210068000300 नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन (एन.डी.एच.एम.)	29 अनुरक्षण	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)

http://shasanadesh.up.gov.in

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

10	036	2210068000300 नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन (एन.डी.एच.एम.)	42 अन्य व्यय	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
11	036	2210068000300 नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन (एन.डी.एच.एम.)	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	5,00,000 (रुपये पाँच लाख मात्र)
12	036	2210068000300 नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन (एन.डी.एच.एम.)	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	4,50,000 (रुपये चार लाख पचास हजार मात्र)
13	036	2210068000300 नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन (एन.डी.एच.एम.)	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	25,00,000 (रुपये पच्चीस लाख मात्र)
14	036	2210068000300 नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन (एन.डी.एच.एम.)	64 रिसर्च एण्ड डवलपमेन्ट	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
		कुल		**83,00,000** **(रुपये तिरासी लाख मात्र)**

लेखाशीर्ष: 4210042000300 (नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन (एन.डी.एच.एम.)/(ए.बी.डी.एम.)

	अनुदान संख्या	**लेखा शीर्षक**	**मानक मद**	**स्वीकृत धनराशि**
1	036	4210042000300 नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन (एन.डी.एच.एम.)/(ए.बी.डी.एम.)	24 वृहत् निर्माण कार्य	20,00,000 (रुपये बीस लाख मात्र)
		कुल		**20,00,000** **(रुपये बीस लाख मात्र)**

महायोग	1,03,00,000 (रुपये एक करोड़ तीन लाख मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

3. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी0-1-812/दस-2026-231/2026, दिनाँक 28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
चन्द्र शेखर मिश्र
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं ददिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. मिशन निदेशक, आयुष्मान भारत डिजीटल मिशन, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6. निदेशक (नियोजन/बजट) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य उत्तर प्रदेश लखनऊ।
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-4/चिकित्सा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
चन्द्र शेखर मिश्र
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।